छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन नया रायपुर 492002

—:: आदेश ::—

रायपुर दिनांक 06 /04/2016

कमांक/8286/एफ–8/89/PMFBY/2016–17/14–2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा **"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना"** हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.02.2016 को जारी मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप समुचित क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति [District Level Monitoring Committee (DLMC)] का गठन करती है :–

1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी	सदस्य
3	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं	सदस्य
4	प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा	सदस्य
5	अधीक्षक, भू–अभिलेख	सदस्य
6	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
7	लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
8	कार्यक्रम समन्वयक, कृ.वि.के.	सदस्य
9	जिला सूचना अधिकारी, NIC	सदस्य
10	नाबार्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
11	PMBFY के क्रियान्वयन हेतु GOI से सूचीबद्ध फसल बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि	सदस्य
12	तीन कृषक प्रतिनिधि *	सदस्य
13	उप संचालक कृषि	सदस्य सचिव

* संचालक कृषि, कृषक प्रतिनिधि के नामांकन हेतु प्रस्ताव विभाग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति का मुख्य कार्य एवं जवाबदेही निम्नानुसार होगी :–

1. नियमित बैठक आयोजित कर योजना क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेगी।
2. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिक से अधिक कृषको को इस योजना में शामिल करने हेतु सघन प्रचार–प्रसार के माध्यम से कृषकों को जागृत करेंगे।
3. योजना की पाक्षिक प्रतिवेदन/स्थिति राज्य शासन को उपलब्ध कराएगी।
4. फसल एवं मौसम की स्थिति तथा ऋण वितरण का पाक्षिक प्रतिवेदन राज्य शासन को उपलब्ध कराएगी जिसके आधार पर नियुक्त बीमा कंपनियों के साथ चर्चा किया जावेगा।
5. जिला स्तरीय संयुक्त समिति को प्रमुख रूप से दिशा–निर्देश/जानकारी उपलब्ध कराएगी जिसमें प्राकृतिक व स्थानीय आपदाओं तथा फसल कटाई पश्चात् होने वाले क्षति पर निर्णय लिया जा सकेगा।
6. बीमा कंपनी द्वारा सत्यापित किए गए लाभार्थियों में से 10 प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन DLMC के माध्यम से किया जावेगा तथा योजना के संबंध में अपने अनुभव राज्य शासन को उपलब्ध कराएगी।
7. समिति नियमित रूप से बीमा योजना अंतर्गत जुड़े हुए प्रमुख बैंकों/वित्तीय संस्था की रिपोर्ट/रिकार्ड का निरीक्षण व सत्यापन करेगी।

यह समिति उपरोक्त दायित्वों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मार्गदर्शिका में उल्लेखित अन्य कार्य तथा शासन स्तर से समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

6/4/16

(प्रदीप कुमार दवे)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

D:\pmfby\Letter.doc 203

3